

RNA : Real News Analysis


DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

Key Point

DATE
जनवरी
22
2025

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors



By Ankit Avasthi Sir

भारत का पहला खाद्य तेल सर्वेक्षण / India's first Edible Oil Survey

संदर्भ:

केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने भारत में खाद्य तेलों की खपत के पैटर्न का आकलन करने के लिए पहला सर्वेक्षण शुरू किया है। यह सर्वेक्षण **मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स-ऑयलसीड्स** को प्रभावी रूप से लागू करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य भारत में खाद्य तेल उत्पादन को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता को कम करना है।

सर्वेक्षण के प्रमुख बिंदु:

- सर्वेक्षण की अवधि और भागीदार:**
 - सर्वेक्षण **45 दिनों** तक चला और इसमें **खाद्य तेल उपभोक्ताओं और वितरकों** जैसे विभिन्न हितधारकों को शामिल किया गया।
- उद्देश्य:**
 - उपभोक्ताओं की **खपत पैटर्न** और **खाद्य तेलों की पसंद** को समझना, जिससे नीतिगत निर्णयों में सहायता मिल सके।
- व्यवहारगत विश्लेषण:**
 - सर्वेक्षण में उपभोक्ताओं के **व्यवहार पैटर्न**, विज्ञापन और **लेबलिंग का प्रभाव**, तथा प्रीमियम तेलों के लिए **भुगतान करने की इच्छा** का विश्लेषण किया गया।
 - इसमें विभिन्न पहलुओं जैसे **डीप-फ्राई की आवृत्ति**, **मौसमी उपयोग पैटर्न**, और तेल चयन को प्रभावित करने वाले कारकों की भी जांच की गई।
- सर्वेक्षण की आवश्यकता:**
 - रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत में प्रति व्यक्ति खाद्य तेल की खपत **20 किलोग्राम** से अधिक हो गई है।
 - यह **जीवनशैली और स्वास्थ्य जोखिमों** को दर्शाता है, क्योंकि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के अनुसार, प्रति व्यक्ति खपत **12 किलोग्राम से कम** होनी चाहिए।

राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन (NMEO-Oilseeds) के प्रमुख बिंदु:

- अवधि:**
 - यह पहल **2024-25 से 2030-31** तक चलेगी।
- मुख्य लक्ष्य:**
 - प्रमुख तिलहन फसलों जैसे **रायसर (सरसों), मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल** के उत्पादन को बढ़ाना।
 - कपास बीज, चावल की भूसी और वृक्ष जनित तेलों** जैसे द्वितीयक स्रोतों से संग्रह और निष्कर्षण क्षमता में वृद्धि करना।
- उद्देश्य:**
 - प्राथमिक तिलहन उत्पादन को **39 मिलियन टन (2022-23)** से बढ़ाकर **69.7 मिलियन टन (2030-31)** करना।
 - 2030-31 तक देश की अनुमानित घरेलू मांग का **72%** पूरा करना।

भारतीय खाद्य तेल क्षेत्र की चुनौतियाँ:

- आयात पर निर्भरता:**
 - भारत अपनी खाद्य तेल आवश्यकताओं का **55-60%** आयात करता है।
 - प्रमुख आयातक देश **इंडोनेशिया, मलेशिया और यूक्रेन** हैं, जिससे घरेलू उत्पादन पर दबाव बढ़ता है और विदेशी बाजारों पर निर्भरता बनी रहती है।
- पाम ऑयल का प्रभुत्व:**
 - भारतीय खाद्य तेल खपत में **38% हिस्सेदारी** के साथ पाम ऑयल का प्रमुख योगदान है।
 - इसकी अत्यधिक खपत के कारण अन्य तिलहनों (सरसों, मूंगफली, सोयाबीन) का उत्पादन और खपत प्रभावित हो रही है।
- स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ:**
 - खाद्य तेलों की बढ़ती खपत और **फास्ट-फूड संस्कृति** के कारण स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
 - अधिक तेल खपत से **हृदय रोग, मोटापा और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं** का खतरा बढ़ रहा है।

सर्वेक्षण का महत्व:

- खपत पैटर्न का विश्लेषण:**
 - भारत में खाद्य तेलों की खपत प्रवृत्तियों को समझने में मदद करेगा।
- नीति निर्माण:**
 - उत्पादन और आयात को विनियमित करने में सहायक, NMEO-Oilseeds के कार्यान्वयन में मदद।
- विज्ञापन नियंत्रण:**
 - भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने में सहायक।
- स्वास्थ्य जागरूकता:**
 - स्वास्थ्य पर प्रभावों को पहचानकर निवारक उपायों की शुरुआत में मदद।

प्रतिभूति लेनदेन कर / Securities Transaction Tax

संदर्भ:

स्टॉक मार्केट की अस्थिरता के बावजूद, प्रतिभूति लेनदेन कर (Securities Transaction Tax - STT) संग्रह में 75% से अधिक की वृद्धि हुई है। 12 जनवरी 2025 तक STT संग्रह ₹44,538 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि 2024 की इसी अवधि में यह ₹25,415 करोड़ था।

STT COLLECTION HAS BEEN ON THE RISE SINCE JULY 2024

FY24-25		FY23-24	
Ason	Net tax collection*	Ason	Net tax collection*
January 12, 2025	44,538	January 12, 2024	25,415
December 17, 2024	40,114	December 17, 2023	21,628
November 10, 2024	35,923	November 10, 2023	18,909
October 10, 2024	30,630	October 10, 2023	16,373
September 17, 2024	26,154	September 17, 2023	13,352
August 11, 2024	21,599	August 11, 2023	10,234
July 11, 2024	16,634	July 11, 2023	7,285

*Rs crore; Source: Income Tax Department

प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) संग्रह में वृद्धि:

1. महत्वपूर्ण वृद्धि:

- 12 जनवरी 2025 तक, प्रतिभूति लेनदेन कर (Securities Transaction Tax - STT) संग्रह में **75% से अधिक** की वृद्धि दर्ज की गई है।
- यह संग्रह **₹44,538 करोड़** तक पहुंच गया है, जबकि 2024 की इसी अवधि में यह ₹25,415 करोड़ था।

2. F&O पर वृद्धि के बावजूद उछाल:

- वायदा और विकल्प (Futures & Options - F&O) सेगमेंट में सट्टा गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए STT दरों में वृद्धि के बावजूद संग्रह में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है।
- इससे स्पष्ट होता है कि बाजार में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी हैं, जिससे राजस्व में वृद्धि हुई है।

3. विनियामक चिंताएं:

- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने F&O बाजार में लेन-देन की बढ़ती मात्रा पर चिंता जताई है।
- अधिक सट्टा गतिविधियां **समष्टि आर्थिक स्थिरता (macroeconomic stability)** के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं।

4. सरकार के राजस्व में योगदान:

- बढ़ता हुआ STT संग्रह सरकार की राजस्व आय को बढ़ाता है, जिससे सार्वजनिक व्यय और विकास परियोजनाओं के लिए अधिक धन उपलब्ध होता है।

प्रतिभूति लेनदेन कर (Securities Transaction Tax - STT) के बारे में

यह एक **प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)** है जो भारत के मान्यता प्राप्त **स्टॉक एक्सचेंजों** पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों (Securities) की **खरीद और बिक्री** पर लगाया जाता है।

- इसे भारत सरकार द्वारा **लगाया और एकर** किया जाता है।

2. **नियमन:** STT को **प्रतिभूति लेनदेन कर अधिनियम (Securities Transaction Tax Act)** के तहत विनियमित किया जाता है।

3. कर योग्य प्रतिभूतियाँ:

- STT उन प्रतिभूतियों पर लागू होता है, जिनमें शामिल हैं:

- शेयर (Equities)
- डेरिवेटिव्स (Derivatives)
- इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड निवेश इकाइयाँ

- STT **कमोडिटी और मुद्रा (Commodity & Currency)** लेनदेन पर लागू नहीं होता है।

4. **कर की दर:** विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के लिए **कर की दरें अलग-अलग** होती हैं।

5. **ऑफ-मार्केट लेनदेन पर STT:** यह **ऑफ-मार्केट लेनदेन** (Stock Exchange के बाहर किए गए सौदे) पर लागू नहीं होता है।

6. STT की देयता:

- जब ग्राहक स्टॉक मार्केट में लेनदेन करता है, तो STT लगाने की जिम्मेदारी **ब्रोकर** की होती है।
- ब्रोकर द्वारा एकत्रित कर राशि सरकार को जमा की जाती है।

7. **अनुबंध नोट (Contract Notes):** ब्रोकर द्वारा **प्रत्येक ट्रेड के निष्पादन** के लिए दिए गए **अनुबंध नोट्स** में STT शुल्क और दरें स्पष्ट रूप से दिखाई जाती हैं।

रत्नागिरी में बौद्ध उत्खनन / Buddhist excavations in Ratnagiri

संदर्भ:

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने ओडिशा के जाजपुर जिले में स्थित ऐतिहासिक **रत्नागिरी बौद्ध स्थल** पर चल रही खुदाई के दौरान महत्वपूर्ण खोजों की हैं। ये खोजें प्राचीन बौद्ध सभ्यता और इस क्षेत्र के सांस्कृतिक इतिहास को समझने में एक नई दिशा प्रदान कर रही हैं।

रत्नागिरी बौद्ध स्थल की प्रमुख खोजें:

1. प्रमुख उत्खनन निष्कर्ष:

- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा **5वीं-13वीं शताब्दी** के बौद्ध स्थल रत्नागिरी में चल रही खुदाई में कई प्राचीन बौद्ध अवशेष मिले हैं, जिनमें शामिल हैं:
 - **बौद्ध मठ परिसर**, जो **8वीं शताब्दी ईस्वी** का बताया जा रहा है।
 - **विशाल बुद्ध सिर** और बौद्ध देवताओं की मूर्तियों के खंडित अवशेष, जिसमें एक **5 फीट लंबी हथेली** भी मिली है।
 - बुद्ध का सिर लगभग **3-4 फीट** ऊंचा है।
 - **शिलालेख युक्त पत्थर, मिट्टी के बर्तन, मनके, पत्थर के स्तंभ** आदि।
 - एक **प्राचीन ईंट की दीवार**, जो एक बड़े ढांचे का हिस्सा मानी जा रही है।
 - **5 फीट लंबा और 3.5 फीट ऊंचा एक अखंड पत्थर का हाथी**।

2. महत्व:

- इन खोजों ने रत्नागिरी की **1,200 वर्षों की समृद्ध विरासत** को और मजबूती दी है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि रत्नागिरी, बिहार स्थित **नालंदा विश्वविद्यालय** के समकक्ष एक प्रमुख बौद्ध शिक्षण केंद्र रहा होगा।
- यह उत्खनन **ओडिशा में बौद्ध धर्म के विकास** और **दक्षिण-पूर्व एशिया** के साथ इसके संबंधों को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

पिछली खुदाई:

1. पिछली प्रमुख खुदाई:

- रत्नागिरी में अंतिम प्रमुख खुदाई **1958 से 1961** के बीच **देबाला मित्रा** द्वारा की गई थी।
- इस खुदाई में **ईंटों का स्तूप, मठ परिसर**, और कई **वोटिव स्तूप** (धार्मिक प्रतिमाएँ) पाए गए थे।

2. इतिहासिक संदर्भ की समझ:

- इन पहले के प्रयासों ने रत्नागिरी स्थल के **ऐतिहासिक संदर्भ** को समझने के लिए महत्वपूर्ण आधार तैयार किया, जो आज की खुदाई में मिली नई जानकारी के साथ जुड़ा है।

रत्नागिरी और बौद्ध धर्म का इतिहास:

1. रत्नागिरी का विकास:

- रत्नागिरी का उत्कर्ष **5वीं से 13वीं शताब्दी** के बीच हुआ, जिसमें **7वीं से 10वीं शताब्दी** के दौरान इसका निर्माण चरम पर था।
- यह **महायान** और **तंत्रयान (वज्रयान)** बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था।

2. ओडिशा में बौद्ध धर्म का उदय:

- ओडिशा में बौद्ध धर्म ने **मौर्य सम्राट अशोक** के शासनकाल में **कलिंग युद्ध (261 ईसा पूर्व)** के बाद प्रमुखता हासिल की।
- रत्नागिरी स्थल शायद **दक्षिण-पूर्व एशिया** में बौद्ध धर्म के प्रसार का एक **केन्द्र** रहा था, जिसे ओडिशा के प्राचीन समुद्री व्यापार संपर्कों से समर्थन प्राप्त था।

रत्नागिरी का महत्व:

- ऐतिहासिक महत्व:** रत्नागिरी ने **नालंदा** के समान बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाई थी।
- सांस्कृतिक धरोहर:** रत्नागिरी में **वोटिव स्तूप, मठ**, और **धार्मिक अवशेष** पाए गए, जो बौद्ध कला और वास्तुकला के विकास को प्रदर्शित करते हैं।
- वैश्विक संबंध:** इस स्थल से जुड़ी **व्यापार और धार्मिक आदान-प्रदान** के प्रमाण मिलते हैं, जो इसे **दक्षिण-पूर्व एशिया** के साथ घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक बनाते हैं।
- शैक्षिक केंद्र:** रत्नागिरी संभवतः **चीनी भिक्षु हियुएन त्सांग** द्वारा **638-639 ईस्वी** में यात्रा की गई थी।
- समुद्री धरोहर:** रत्नागिरी ओडिशा के **बलीयात्रा** का हिस्सा था, जो **जावा, सुमात्रा और बाली** जैसे क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संपर्कों का उत्सव मनाता था।

केंद्र ने चीनी निर्यात पर प्रतिबंध हटाया / Centre lifts ban on sugar export

संदर्भ:

केंद्र सरकार ने 2024-25 सीजन में चीनी निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध में आंशिक छूट देते हुए 1 मिलियन टन चीनी निर्यात की अनुमति दी है।

इस फैसले का उद्देश्य:

- **मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना:** घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों को संतुलित रखना।
- **किसानों और श्रमिकों को लाभ:** गन्ना किसानों और चीनी उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की आय में सुधार।
- **चीनी मिलों के लिए नकदी प्रवाह बढ़ाना:** अतिरिक्त भंडार का निपटान कर मिलों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना।

मुख्य बिंदु:

1. निर्यात कोटा आवंटन:

- सरकार ने 1 मिलियन टन (MT) चीनी का निर्यात कोटा आवंटित किया है।
- यह कोटा उन 518 चीनी मिलों के बीच वितरित किया गया है, जिन्होंने पिछले तीन चीनी सत्रों (2021-22, 2022-23, और 2023-24) में कम से कम एक सत्र में काम किया है।
- प्रत्येक चीनी मिल को उनके पिछले तीन वर्षों के औसत उत्पादन का 3.174% समान रूप से आवंटित किया गया है।

2. 2022-23 चीनी निर्यात रिकॉर्ड:

- भारत ने 2022-23 सत्र में 6 मिलियन टन चीनी का निर्यात किया था।
- इसके बाद सरकार ने अब तक कोई निर्यात कोटा आवंटित नहीं किया था।

3. सरकार का उद्देश्य:

- चीनी निर्यात की अनुमति से देश का चीनी संतुलन सुधारने में मदद मिलेगी।
- यह चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति को बेहतर करेगा और गन्ना किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगा।

चीनी निर्यात पर निर्णय:

1. राज्यवार उत्पादन अनुमान:

- **महाराष्ट्र, कर्नाटका, और उत्तर प्रदेश** मिलकर देश के कुल चीनी उत्पादन का **80% से अधिक** योगदान करते हैं। इन राज्यों में गन्ने की पैदावार में गिरावट के कारण व्यापारियों ने 2024-25 के मौजूदा सत्र के लिए उत्पादन अनुमान को घटाया है।
- उत्पादन पिछले साल के **32 मिलियन टन** से घटकर **27 मिलियन टन** तक पहुँच सकता है, जो वार्षिक खपत **29 मिलियन टन** से भी कम है।

2. भारत का निर्यात बाजार:

- भारत के चीनी निर्यात बाजारों में **इंडोनेशिया, बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरात** शामिल हैं। 2022-23 तक के पाँच वर्षों में, भारत **दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक** था, जहाँ औसतन **6.8 मिलियन टन** चीनी का निर्यात हुआ।
- भारत ने **2023-24 विपणन वर्ष** में निर्यात को अनुमति नहीं दी थी।

लाभ:

1. **कीमत स्थिरता:** यह निर्णय घरेलू चीनी कीमतों को स्थिर करने का उद्देश्य रखता है, जिससे अधिक उत्पादन के कारण कीमतों में गिरावट को रोका जा सकेगा।
2. **किसानों का समर्थन:** निर्यात को सक्षम करके, चीनी मिलों को बेहतर तरलता मिलेगी, जिससे **चीनी उत्पादन में लगे पाँच करोड़ किसान परिवारों** को समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा।
3. **चीनी मिलों को बढ़ावा:** निर्यात अनुमति से चीनी मिलों को अधिशेष स्टॉक को साफ करने में मदद मिलेगी, जिससे उनके **नकद प्रवाह में सुधार** होगा और वित्तीय स्थिति में मजबूती आएगी।
4. **रोज़गार में वृद्धि:** यह कदम चीनी उद्योग में लगभग **पाँच लाख श्रमिकों** को लाभ पहुंचाने की उम्मीद है, जो नौकरी सुरक्षा में योगदान करेगा।
5. **भारत के चीनी क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण:** यह निर्णय **चीनी क्षेत्र** को मजबूत करेगा, जिससे समग्र बाजार स्थिरता में सुधार होगा और इसके विकास की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा।

चुनौतियाँ:

1. **घरेलू संकट का जोखिम:** चीनी का निर्यात घरेलू बाजार में कमी पैदा कर सकता है यदि इसे सावधानी से नहीं निगरानी किया जाए, जिससे कीमतों में वृद्धि हो सकती है।
2. **अंतरराष्ट्रीय बाजार की गतिशीलता:** वैश्विक चीनी बाजार की अस्थिरता निर्यात के लाभों को प्रभावित कर सकती है, विशेष रूप से अगर मांग में उतार-चढ़ाव होता है या अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आती है।
3. **लॉजिस्टिक और नियामक अड़चनें:** व्यापारियों के माध्यम से निर्यात समन्वय करना और निर्यात कोटा के पालन को सुनिश्चित करना परिचालन संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकता है।

बाहरी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश / Outward Foreign Direct Investment

संदर्भ:

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, 2024 में घरेलू कंपनियों द्वारा की गई बाहरी प्रत्यक्ष निवेश (OFDI) में लगभग 17% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो \$37.68 बिलियन तक पहुँच गई है।

- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, 2023 में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 32.29 बिलियन डॉलर था।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ODI)

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ODI) का अर्थ है, किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित संपत्तियों या व्यवसायों में किया गया निवेश। इसमें विदेशी व्यवसाय पर सीधे स्वामित्व और नियंत्रण करना शामिल होता है, जैसे कि विदेशी बाजारों में सहायक कंपनियाँ, संयुक्त उपक्रम, या शाखाएँ स्थापित करना।

ODI के मुख्य बिंदु:

1. नियंत्रण और प्रभाव:

- विदेशी व्यवसाय पर एक महत्वपूर्ण स्तर का नियंत्रण या प्रभाव (आमतौर पर कम से कम **10% स्वामित्व**) होना चाहिए।

2. उद्देश्य:

- अपने संचालन का विस्तार करना, नए बाजारों तक पहुँच प्राप्त करना, संसाधनों से लाभ उठाना, या जोखिमों को विविधित करना।

3. निवेश रूप:

- यह विदेशी कंपनियों, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, या अन्य संपत्तियों में निवेश के रूप में हो सकता है।

4. भारत द्वारा निवेश के क्षेत्र:

- होटल, निर्माण, निर्माण सामग्री, कृषि, खनन, और सेवाएँ।

5. निवेश के लिए देश:

- सिंगापुर, यूएस, यूके, यूई, सऊदी अरब, ओमानी, और मलेशिया जैसे देश।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ODI) के लाभ:

1. प्रौद्योगिकी तक बेहतर पहुँच:

- भारतीय कंपनियों को **तकनीकी ज्ञान** तक बेहतर पहुँच प्राप्त होती है।

2. वैश्विक व्यापार का विस्तार:

- यह कंपनियों को **वैश्विक स्तर पर व्यापार विस्तार** करने का अवसर प्रदान करता है।

3. व्यापक बाजार तक पहुँच:

- भारतीय कंपनियों को **व्यापक बाजार** तक पहुँच मिलती है, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है।

4. वैश्विक ग्राहक आधार:

- वैश्विक ग्राहक आधार** बनाने में मदद मिलती है, जिससे राजस्व में वृद्धि होती है।

भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ODI) का ढांचा:

1. नियमों और कानूनों का पालन:

- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) 1999** की धारा 6(3)(a), **FEM (Permissible Capital Account Transactions) Regulations, 2000** के तहत।
- FEM (Transfer or Issue of any Foreign Security) Regulations, 2000**।
- रिजर्व बैंक भारत (RBI)** द्वारा जारी किए गए **सर्कुलर**।
- RBI** द्वारा जारी **ओडीआई पर मार्गदर्शन**।
- लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS)** और **एफएक्यू** (जो निवासियों के लिए लागू हैं)।

निष्कर्ष

- संयुक्त उपक्रम (JVs)** और **पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ (WOS)** भारतीय व्यापारियों के लिए वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाने के महत्वपूर्ण रास्ते बन गई हैं।
- भारतीय कंपनियाँ अपनी **स्वयं की सहायक कंपनियों** में निवेश कर रही हैं, जो यह दर्शाता है कि वे **बाहर विस्तार** कर रही हैं।
- भारतीय कंपनियों की निरंतर **अंतरराष्ट्रीय पहुँच** न केवल उन्हें वैश्विक स्तर पर विस्तार करने में मदद कर रही है, बल्कि **भारत और अन्य देशों** के बीच **आर्थिक संबंधों को भी मजबूत कर रही है**।

यूरोपीय संघ के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की 6 सूत्री योजना / India's 6-Point Plan to Strengthen Economic Ties with the EU

संदर्भ:

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक उच्च स्तरीय बैठक में **भारत और यूरोपीय संघ** के बीच परस्पर लाभकारी साझेदारी बनाने के लिए **छह व्यापक सिद्धांत** प्रस्तुत किए। यह बैठक यूरोपीय व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविक के साथ हुई।

6-सूत्रीय योजना के बारे में:

1. तकनीकी सहयोग:

- अत्याधुनिक **तकनीकों** को संयुक्त रूप से विकसित करना और **महत्वपूर्ण कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखलाओं** को मजबूत बनाना।
- गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं से बचाव के लिए लचीलापन बढ़ाना और प्रौद्योगिकी साझाकरण में निष्पक्ष प्रथाओं को बढ़ावा देना।

2. न्यायसंगत व्यापार एजेंडा:

- **मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** को परस्पर लाभकारी बनाना, जिससे **टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं** को कम किया जा सके।
- छोटे उद्यमों, किसानों और मछुआरों को लाभ पहुंचाकर **समान व्यापार प्रथाओं** को बढ़ावा देना।

3. सतत विकास:

- **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs)** के अनुरूप व्यापार को **सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारी** सिद्धांत के तहत संरेखित करना।
- नवीकरणीय ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकियों और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करना।

4. विश्वसनीय साझेदारी:

- आर्थिक संबंधों को मजबूत करके **2 अरब की संयुक्त आबादी** के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करना।
- दीर्घकालिक सहयोग के लिए **आधारभूत विश्वास** विकसित करना।

5. उच्च गुणवत्ता उत्पादन:

- **यूरोपीय संघ (EU)** के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाकर मानकों को समरूप बनाना और "शून्य दोष, शून्य प्रभाव" निर्माण को प्राप्त करना।
- गुणवत्ता और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना।

6. पारस्परिक विकास:

- भारत की **प्रतिभा पूल** का लाभ उठाकर इसे "जीवंत सेतु" के रूप में उपयोग करना।
- **संस्कृति और आर्थिक आदान-प्रदान** को बढ़ावा देकर नवाचार और साझा समृद्धि को बढ़ाना।

भारत-यूरोपीय संघ (EU) संबंध: एक संक्षिप्त विवरण:

राजनीतिक सहयोग:

- संबंधों की शुरुआत 1960 के दशक में हुई, जिसे 1994 के सहयोग समझौते ने मजबूत किया।
- **मुख्य पड़ाव:**
 - 2000: पहला भारत-EU शिखर सम्मेलन।
 - 2004: 5वें भारत-EU शिखर सम्मेलन (द हेग) में राजनीतिक साझेदारी में अपग्रेड।

आर्थिक सहयोग:

द्विपक्षीय व्यापार:

- 2023-24 में USD 137.41 बिलियन का व्यापार, जिससे EU भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना।
- सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार USD 51.45 बिलियन (2023)।

जल प्रबंधन: 2016 में **भारत-EU जल साझेदारी (IEWP)** की स्थापना, जल प्रबंधन के ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए।

नाभिकीय ऊर्जा:

- 2020 में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए नाभिकीय ऊर्जा के अनुसंधान और विकास में सहयोग का समझौता।

व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TTC):

- 2023 में स्थापित, व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए।

भारत के लिए यूरोपीय संघ (EU) का महत्व:

चीन को लेकर चिंताएं:

- **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव** के जरिए चीन का वैश्विक विस्तार।
- एशिया में सैन्य आक्रामकता और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का दुरुपयोग।

आर्थिक जोखिम में कमी (Economic De-risking):

- चीन के साथ भारत का बड़ा व्यापार घाटा।
- राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इनपुट्स के लिए चीन पर अत्यधिक निर्भरता।

महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियां:

- **EU के उभरते क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं:**
 - साइबर सुरक्षा।
 - अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी।
 - क्वांटम टेक्नोलॉजी।
 - सिंथेटिक बायोलॉजी।

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) के लिए संशोधित दिशानिर्देश / Revised Guidelines for Asset Reconstruction Companies (ARCs)

संदर्भ:

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARCs) के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित करते हुए "आरबीआई (एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों) मास्टर डायरेक्शन, 2024" जारी किए हैं।

संशोधित दिशानिर्देशों के मुख्य बिंदु:

1. सेटलमेंट नीतियां:

- एआरसी (एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों) को बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति अपनानी होगी जिसमें:
 - वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) के लिए पात्रता मानदंड।
 - स्वीकार्य रियायतें।
 - प्रतिभूतियों के प्राप्ति मूल्य निर्धारण की कार्यप्रणाली।
- सेटलमेंट तभी किया जाएगा जब सभी वसूली विकल्प समाप्त हो जाएं और यह सबसे उपयुक्त विकल्प हो।

2. सेटलमेंट राशि:

- सेटलमेंट को प्राथमिकता से एकमुश्त भुगतान में किया जाना चाहिए।
- चरणबद्ध भुगतान के मामलों में, एआरसी को उधारकर्ता की व्यावसायिक योजनाओं, आय अनुमान, और नकदी प्रवाह का मूल्यांकन करना होगा।

3. स्वतंत्र सलाहकार समिति (IAC):

₹1 करोड़ से अधिक की देयता वाले खातों के लिए, प्रस्ताव की जांच तकनीकी, वित्तीय और कानूनी पृष्ठभूमि वाले पेशेवरों की IAC द्वारा की जाएगी।

4. धोखाधड़ी या जानबूझकर डिफॉल्ट करने वाले खाते:

- एआरसी धोखाधड़ी या जानबूझकर डिफॉल्ट वाले मामलों में भी बकाया सेटल कर सकते हैं, बशर्ते कि कानूनी कार्यवाही प्रभावित न हो।

5. पुनरीक्षित मूल्यांकन मानदंड:

- एआरसी को अधिग्रहित प्रतिभूतियों के मूल मूल्यांकन और सेटलमेंट के दौरान उनके प्राप्ति मूल्य में अंतर के कारणों को रिकॉर्ड करना होगा।

6. कानूनी निगरानी:

- न्यायिक कार्यवाही के अधीन खातों के सेटलमेंट के लिए संबंधित प्राधिकरणों से सहमति आदेश (Consent Decree) प्राप्त करना अनिवार्य है।

7. नेट ओन्ड फंड की आवश्यकता:

एआरसी को FY26 तक न्यूनतम ₹300 करोड़ का नेट ओन्ड फंड बनाए रखना होगा।

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (ARC):

परिभाषा:

- यह एक वित्तीय संस्था है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ) या खराब परिसंपत्तियाँ खरीदती है, जिससे बैंक अपनी बैलेंस शीट को साफ कर सकें।

स्थापना:

- केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARC) की स्थापना की घोषणा की गई थी।

भूमिका:

- एआरसी बैंकों और वित्तीय संस्थानों की तनावग्रस्त वित्तीय परिसंपत्तियों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- यह संपूर्ण वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता करती हैं।

विनियमन:

- एआरसी को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा विनियमित किया जाता है।
- इनका संचालन 2002 के सरफेसी अधिनियम (SARFAESI Act, 2002) के तहत किया जाता है।

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARC) के कार्य:

- **खराब ऋणों का अधिग्रहण:** एआरसी बैंकों से एनपीए रियायती मूल्य पर खरीदती हैं, जिससे बैलेंस शीट साफ होती है।
- **परिसंपत्तियों का समाधान:** खराब ऋणों के बाद, एआरसी पुनर्गठन, निपटान या परिसंपत्ति बिक्री से वसूली करती हैं।
- **ऋणों का प्रतिभूतिकरण:** एआरसी खराब ऋणों पर आधारित बॉन्ड जारी कर धन जुटाती हैं।

महत्व:

- **बैंकिंग सिस्टम के लिए बफर:** एआरसी एनपीए को बैंक की मुनाफा और पूंजी से बचाती हैं।
- **आरबीआई के दिशा-निर्देश:** आरबीआई के नए दिशा-निर्देश एआरसी की कार्यकुशलता और वित्तीय स्थिरता को बढ़ाते हैं।

179 समुदायों को एससी, एसटी और ओबीसी सूची में शामिल करने की सिफारिश / Recommends Inclusion of 179 Communities in SC, ST, and OBC List

संदर्भ:

Anthropological Survey of India (AnSI) ने ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स (TRIs) के साथ मिलकर 268 विमुक्त, अर्ध-घुमंतू और घुमंतू जनजातियों पर एक व्यापक अध्ययन किया है। इसका उद्देश्य उन समूहों को वर्गीकृत करना है जो पहले की समितियों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थे।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

- **समावेशन की सिफारिशें:**
 - 179 समुदायों को SC (29), ST (10), और OBC (46) श्रेणियों में शामिल करने की सिफारिश की गई।
 - इनमें से 85 नए समुदाय हैं, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 19 समुदायों की सिफारिश की गई।
- **वर्गीकरण:**
 - नौ समुदायों का वर्गीकरण सुधारा गया।
 - 63 समुदायों (20%) को "नहीं मिल सकने वाला" माना गया, जो समाहित होने या प्रवास करने के कारण ट्रेस नहीं हो सके।
- **अध्ययन अध्ययन:**
 - यह अध्ययन ओडिशा, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में किया गया, जिसमें प्रत्येक समुदाय पर तीन महीने तक फील्ड अध्ययन, संसाधन पहचान और परामर्श किए गए।
- **मंजूरी का इंतजार:**
 - इसे राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों की प्रस्तावों की आवश्यकता है, उसके बाद भारत के रजिस्ट्रार जनरल और संबंधित राष्ट्रीय आयोगों से मंजूरी प्राप्त करनी होगी।

SC, ST, और OBC सूचियों के लिए प्रावधान

- **केंद्र सरकार की भूमिका:**
 - केंद्र सरकार SC, ST, और OBC सूचियों में समुदायों को शामिल करने या बाहर करने का कानून बनाती है।
- **राज्य सरकारों की भूमिका:**
 - राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारें समुदायों को शामिल करने के लिए पहचान करती हैं और सिफारिश करती हैं।
 - इन सरकारों को समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन भी करना होता है।
 - राज्य अपने OBC समुदायों की सूची भी बनाए रख सकते हैं।

सूचियों का महत्व:

- **सामाजिक न्याय:**
 - शिक्षा, रोजगार और कल्याण योजनाओं जैसे लक्षित लाभ प्रदान करता है।
 - हाशिये पर पड़ी समुदायों द्वारा सामना किए गए ऐतिहासिक नुकसान को कम करता है।
- **संस्कृतिक मान्यता:**
 - अद्वितीय सांस्कृतिक पहचानों को मान्यता देता है और संरक्षित करता है।
 - निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।
- **आर्थिक उन्नति:**
 - अवसरों तक पहुँच को बढ़ाता है, जिससे सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।

नीति पर संभावित प्रभाव:

- **कोटा प्रणाली का पुनः निर्धारण:**
 - इन समुदायों को शामिल करने से जाति आधारित आरक्षण प्रणाली में बदलाव हो सकता है, जो शिक्षा, रोजगार और कल्याण कार्यक्रमों को प्रभावित करेगा।
- **शासन की जटिलता:**
 - सामाजिक न्याय मंत्रालय सिफारिशों की समीक्षा कर रहा है, और अंतिम मंजूरी नीति आयोग से प्राप्त होनी बाकी है।

चुनौतियाँ:

- **वर्गीकरण में अस्पष्टता:** कई समुदाय राज्य और केंद्रीय सूचियों में अनिश्चित या आंशिक रूप से वर्गीकृत हैं।
- **"नहीं मिल सकने वाले" समुदाय:** 63 समुदायों को स्थानांतरित नहीं किया जा सका, जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड या प्रवास पैटर्न में अंतर को दर्शाता है।
- **प्रशासनिक जटिलता:** बहु-स्तरीय मंजूरी प्रक्रियाएँ लागू होने में देरी का कारण बनती हैं।
- **अलग कोटे की मांग:**
 - DNTs, NTS, और SNTs के लिए अलग श्रेणी बनाने की मांग की जा रही है, ताकि उनकी विशेष चुनौतियों को संबोधित किया जा सके।

"GET READY FOR A WILD RIDE OF KNOWLEDGE !"

SUBSCRIBE OUR NEW YOUTUBE CHANNEL

ANKIT AVASTHI

Video will be upload soon !



ANKIT AVASTHI




RRB NTPC

TEST SERIES

- ✓ 100+ Mock Test
- ✓ 78 Sectional Test
- ✓ 40+ years PYPs
- ✓ 60+ Current affairs

TEST



Only

99 *Per Year*

Buy Now



GA FOUNDATION




Hand Written
Notes


Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर


Ani
Ankit Inspires India

₹ **Only**
1999

**4 पुस्तकों का
सम्पूर्ण सेट**



अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

 **7878158882**



APNI PATHSHALA

UPPSC, RO/ARO, BPSC, UP

TEST SERIES

UPPSC

(TEST SERIES)

- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

299/-
YEAR

RO/ARO

(TEST SERIES)

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

299/-
YEAR

BPSC

(TEST SERIES)

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

299
YEAR

SSC

(TEST SERIES)

- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

99/-
YEAR

RPF

(TEST SERIES)

- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

99/-
YEAR



Download | Application

Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

NCERT COMPLETE

FOUNDATION BATCH

▶ POLITY ▶ ECONOMICS
▶ HISTORY ▶ GEOGRAPHY

FOR ALL

 DAILY LIVE CLASSES

 WEEKLY TEST

 CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)

 LIVE DOUBT SESSIONS

 DAILY PRACTISE PROBLEM

Rs

4999/-



Apni Pathshala  7878158882

 Apni.Pathshala  kaankit  AnkitAvasthiSir  Avasthiankit

ONLY POLITY



1499
RS

DAILY LIVE CLASSES

-  WEEKLY TEST
-  CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
-  LIVE DOUBT SESSIONS
-  DAILY PRACTISE PROBLEM

Apni Pathshala



7878158882



Apni.Pathshala



kaankit



AnkitAvasthiSir



Avasthiankit

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,
Stenographer (Grades C & D)



Only at

99/- Year

Enroll Now!

